न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ अलवर

पीठासीन अधिकारी : यशस्वी शर्मा, आर.जे.एस.

सीआईएस नंबरः– 4480/2015
सीएनआर नंबरः– RJAL16-000969-2015

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स

भाग प्रथम
A

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, राजगढ
अभियुक्त का नाम व पता	राजीव पुत्र गुलाबचंद, उम्र 28 साल, निवासी सोराई थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
उपस्थित	1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से 2. श्री हेमंत सैनी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

सन्दर्भित दिनांकों का विवरण
B

अपराध की दिनांक	15.09.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	16.09.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04.11.2015
आरोप सारांश सुनाए जाने की दिनांक	04.11.2015
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	03.05.2016
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	05.08.2026
निर्णय दिनांक	05.08.2026

अभियुक्त/अभियुक्तगण की सूचना
C

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	**दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध**	पारित दण्डादेश	विचारण के दौरान् अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	राजीव	–	–	धारा 279, 304ए आईपीसी	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन साक्षीगण

क्रम संख्या	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस, विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
पी.डब्ल्यू.01	गोकुल	पंच साक्षी
पी.डब्ल्यू.02	मुकेश	पंच साक्षी
पी.डब्ल्यू.03	डॉ0 सत्यप्रकाश	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू.04	विश्राम	एमटीओ
पी.डब्ल्यू.05	विजय	पंच साक्षी
पी.डब्ल्यू.06	श्यामसुंदर	परिवादी

ब–प्रतिरक्षा साक्षीगण

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस, विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01.	प्रदर्श पी–1	133 एमवी एक्ट का नोटिस
02.	प्रदर्श पी–2	नक्शामौका
03.	प्रदर्श पी–3	पुलिस बयान मुकेश
04.	प्रदर्श पी–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
05.	प्रदर्श पी–5	एमआई रिपोर्ट
06.	प्रदर्श पी–6	फर्द पंचायतनामा
07.	प्रदर्श पी–7	रसीद सुपुदर्गी लाश
08.	प्रदर्श पी–8	तहरीरी रिपोर्ट
09.	प्रदर्श पी–9	चाक एफआईआर

(ब) आवश्यक वस्तुयें :–

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
–	–	–

(स)–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01.	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान विजय

नि र्ण य **दिनांक : 05.08.2026**

01– पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त राजीव के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं. स. के संबंध में प्रस्तुत आरोप पत्र न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 राजगढ द्वारा दिनांक 04.11.2015 को प्रसंज्ञान लिये जाने पर उपरोक्त उनवानी प्रकरण का उद्भव हुआ, जो कालांतर मे अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्यामसुंदर शर्मा ने दिनांक 16.09.2015 को पुलिस थाना राजगढ में उपस्थित होकर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि दिनांक 15.09.2015 को रात्रि के करीब 09:30–10:00 बजे परिवादी का साढु दीपक महुआ से अलवर अपनी मोटरसाइकिल संख्या आरजे 05 एसएम 0647 से लौट रहा था तो डोरोली पिनान के बीच मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 4352 का चालक उक्त वैन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और दीपक की मोटरसाइकिल के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई..... इत्यादि। इस पर एफआईआर सं. 526/2015 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स के तहत दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

03– अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे धारा 279, 304ए भा.दं.स के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन की ओर से सारणी अनुसार मौखिक साक्ष्य में कुल 6 साक्षीयों के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–9 के रूप में प्रदर्शित करवायें गये।

05– अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं के तहत लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं का निर्दोष होने के कथन किये हैं। साक्ष्य सफाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत अभियुक्त द्वारा पृथक से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

06— बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

07— उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः—

(क) क्या अभियुक्त ने सुसंगत दिवस, समय व स्थान पर वाहन मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 4352 को लोकमार्ग पर उपेक्षा, गलफत व लापरवाहीपूर्वक संचालित कर मोटरसाइकिल संख्या आरजे 05 एसएम 0647 के टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल पर सवार दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गई?

(ख) यदि हां तो उसके लिये अभियुक्त को क्या दण्ड दिया जाये?

08— उपर्युक्त विचारणीय बिन्दुओं के समर्थन में सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है, इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि प्रकरण में परिक्षित गवाहान द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य नही दी है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

09— उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु के समर्थन में न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है।

10— मारूति वैन का वाहन स्वामी पी.ड.1 गोकुल ने यद्यपि नोटिस प्रदर्श पी1 के सुसंगत भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर करते हुए वक्त दुर्घटना उक्त वाहन स्वयं के छोटे भाई विक्रम द्वारा संचालित किए जाने की साक्ष्य दी है, जिसके चलते गवाह ने नोटिस प्रदर्श 1 के सुसंगत भाग पर अंकित जवाब अनुसार हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त द्वारा वाहन संचालित किए जाने की पुष्टि नही की है। इस प्रकार गवाह ने अभियुक्त द्वारा वक्त घटना वाहन संचालित किए जाने के संबंध में सुदृढ साक्ष्य नही दी है, किंतु दिनांक 15.09.15 को मारूति वाहन आरजे 02 यूए 4352 का एक्सीडेंट होना बताया है।

11— पी.ड.2 मुकेश एक पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने स्वयं के समक्ष कोई दुर्घटना घटित नही होना बताया है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यद्यपि गवाह ने घटनास्थल पर बनाए गए नक्शामौका प्रदर्श पी2 के सुसंगत भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया है, किंतु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने खाली कागजो पर हस्ताक्षर करना जाहिर किया है। इस प्रकार हस्तगत गवाह ने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एवं चालक की पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य नही दी है तथा नक्शामौका प्रदर्श पी2 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित नही किया है।

12— पी.ड.3 डॉ0 सत्यप्रकाश मीना ने स्वयं के द्वारा मृतक दीपक का पोस्टमार्टम करने की साक्ष्य देते हुए स्वयं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदश पी4 के रूप में चिन्हित कराते हुए मृतक की हैड इंजरी से मृत्यु हो जाने बाबत स्वयं की राय दी है।

13— एमटीओ पी.ड.4 विश्राम मीना ने प्रकरण में जब्तशुदा मारूति वैन आरजे 02 यूए 4352 का स्वयं के द्वारा मैकेनिकल मुआयना किया जाना बताते हुए उक्त वाहन के आगे के बंपर पर रगड के निशान विद्यमान होना बताते हुए स्वयं की रिपोर्ट को प्रदर्श पी5 के रूप में चिन्हित कराया है। इस प्रकार गवाह ने मारूति वैन पर दुर्घटना के आलामात मौजूद होने की साक्ष्य दी है।

14— पी.ड.5 विजय कुमार भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है, जिसने अपने बयानो में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एवं चालक की पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य नही दी है।

15— परिवादी श्यामसुंदर न्यायालय में पी.ड.6 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसके बयानो के अवलोकन से प्रकट होता है कि वह भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में एक्सीडेंट करने वाले वाहन एवं चालक को स्वयं के द्वारा नही देखा जाना बताया है। अतः गवाह द्वारा किस आधार पर मारूति वैन आरजे 02 यूए 4352 द्वारा दुर्घटनाकारित किए जाने के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी8 प्रस्तुत की गई, यह गवाह के बयानो से स्पष्ट नही होता है।

16— पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अधिमूल्यांकन से प्रकट होता है कि तहरीरी रिपोर्ट मे वर्णित दुर्घटना के संबंध मे प्रकरण में परीक्षित किसी भी गवाह ने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एवं चालक की पहचान के संदर्भ में कोई साक्ष्य नही दी है और ना ही घटना की दिनांक को मौके से एफआईआर मे वर्णित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को जब्त किया गया है। ऐसे में न्यायालय द्वारा यह संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता है कि तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित घटना के दौरान ही दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन संख्या आरजे 02 यूए 4352 पर एमटीओ रिपोर्ट में वर्णित दुर्घटना के आलामात आए हो। अभियुक्त की

संलिप्तता दर्शित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी–1 चिन्हित करवाया है। किंतु उक्त नोटिस को वाहन स्वामी पी.ड. 1 द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित नही किया गया है। लिहाजा अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि वक्त घटना अभियुक्त राजीव द्वारा मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 4352 को संचालित किया जा रहा हो।

17– उपर्युक्त विवेचनानुसार अभियुक्त राजीव कुमार के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के चलते अभियुक्त को अपराध धारा के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

:आदेश:

18– अतः अभियुक्त राजीव पुत्र गुलाबचंद, उम्र 28 साल, निवासी सोराई थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर की धारा 279, 304ए आईपीसी के अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19– अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर आने बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

20– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारूति वैन संख्या आरजे 02 यूए 4352 सुपुर्ददार के पास रहे तथा इस संबंध में निष्पादित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

21– अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की ओर से पेश किये गये जमानत मुचलके अपील होने की सूरत में 06 माह की अवधि के लिये प्रभावी रहेंगें।

(यशस्वी शर्मा)
अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

22– निर्णय आज दिनांक 05.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(यशस्वी शर्मा)
अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर